न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–45/2018

उनवान

मूलचन्द पुत्र हनुमान, उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम रणजीतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. झाबर पुत्र हनुमान, उम्र 36 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम रणजीतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक :–21.12.2018

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी वाके ग्राम रणजीतपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर का रहने वाला विकलांग व्यक्ति है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। वादी की खातेदारी भूमि ग्राम रणजीतपुरा में स्थित है जिसके खाता संख्या 54 के खसरा नं0 460 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 492/2 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 494 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 575/486 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 578/486 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 580/487 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 581/490 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 584/492 रकबा 1.12 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 5.13 हैक्टेयर भूमि के हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा शेष हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सं0 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम मूलचन्द पुत्र हनुमान है तथा गांव में वादी को मुरली के नाम से बोला व जाना जाता है। उक्त वर्णित खाता संख्या में सहवन से वादी की खातेदारी में वादी का नाम मुरली पुत्र हनुमान लिखा गया है, जबकि वादी का नाम मूलचन्द पुत्र हनुमान दर्ज होना चहिये था। वादी ग्राम रणजीतपुरा में मय परिवार के निवास करता है। जो वादी के वोटर आईडी कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, निःशक्तता पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र में भी वादी का सही नाम मूलचन्द पुत्र हनुमान दर्ज रिकॉर्ड है। जिन दस्तावेजों का वादी निरन्तर अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है लेकिन आराजीयात

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 54 में वादी का सहवन से नाम मूलचन्द के बजाय मुरली दर्ज हो गया। जो त्रुटि जमाबन्दी में होने से वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा बैंक आदि में राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में अलग नाम से वादी को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है जिससे वादी को भारी परेशानी होती है। वादी को उक्त अनुतोष प्रदान नहीं किया गया तो वादी अपनी खातेदारी भूमि में नाम त्रुटि होने से समस्त उपयोग उपभोग उठाने में नाजायज ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त दुरुस्ती बाबत वादी द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है किन्तु आज दिवस तक दुरुस्ती नहीं होने से वादी को लोन आदि लेने में काफी परेशानी हो रही है। अतः उक्त दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः वादी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम रणजीतपुरा में स्थित खाता संख्या 54 के खसरा नं0 460 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 492/2 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 494 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 575/486 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 578/486 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 580/487 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 581/490 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 584/492 रकबा 1.12 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 5.13 हैक्टेयर भूमि के हिस्सा 1/2 भाग में वादी का नाम मुरली पुत्र हनुमान के स्थान पर मूलचन्द पुत्र हनुमान की घोषणा की जावे तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वाद पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त वर्णित भूमि ग्राम रणजीतपुरा में स्थित होना स्वीकार है। दिनांक 18.06.2018 को हल्का पटवारी द्वारा फर्द रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.06.2018 को ग्राम रणजीतपुरा में मौके पर तैयार की गई पटवारी रिपोर्ट अनुसार खाता सं0 54 व प्रार्थी की खातेदारी में मुरली पुत्र हनुमान हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, वादी का नाम जिसके अन्य दस्तावेजों जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, निःशक्तता पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र में मूलचन्द पुत्र हनुमान है जबकि राशन कार्ड व बैंक पासबुक में मुरली पुत्र हनुमान है, मजमेआम में उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि वादी को मूलचन्द पुत्र हनुमान व मुरली पुत्र हनुमान दोनों नामों से जाना जाता है, जबकि यह एक ही व्यक्ति है। वादी के सहखातेदार झाबर पुत्र हुनमान ने भी इस बाबत स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। जिसके अनुसार यह प्रतीत होता है कि मूलचन्द पुत्र हनुमान व मुरली पुत्र हनुमान एक ही व्यक्ति हैं। यदि वादी का नाम दुरुस्त किया जाता है तो मिन जवाबदाता को कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से वाद पत्र का जवाब इस प्रकार पेश किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त वर्णित भूमि ग्राम रणजीतपुरा में स्थित होना स्वीकार है। वादी द्वारा वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। यदि वादी का नाम दुरुस्त किया जाता है तो मिन जवाबदाता को कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं है।

सहायक कलक्टर 2
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट व जवाब तहसीलदार, तहसील चौमूं का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में अपना नाम मुरली पुत्र हनुमान के स्थान पर मूलचन्द पुत्र हनुमान दुरूस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व तहसीलदार, तहसील चौमूं द्वारा प्रस्तुत जवाब पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुरली पुत्र हनुमान व मूलचन्द पुत्र हनुमान दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में मुरली पुत्र हनुमान के स्थान पर मूलचन्द पुत्र हनुमान नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम रणजीतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 54 के खसरा नं0 460 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 492/2 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 494 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 575/486 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 578/486 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 580/487 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 581/490 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 584/492 रकबा 1.12 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 5.13 हैक्टेयर भूमि के हिस्सा 1/2 भाग में वादी का नाम मुरली पुत्र हनुमान के स्थान पर मूलचन्द पुत्र हनुमान की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ

पीठासीन अधिकारी :– श्री विष्णु कुमार गोयल (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–45 / 2018

उनवान

मूलचन्द पुत्र हनुमान, उम्र 40 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम रणजीतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. झाबर पुत्र हनुमान, उम्र 36 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम रणजीतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राजात दुरुस्ती

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी मिनजामिन व प्रतिवादी मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम रणजीतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के खाता संख्या 54 के खसरा नं0 460 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 492 / 2 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 494 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 575 / 486 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 578 / 486 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 580 / 487 रकबा 0.86 है0, ख0नं0 581 / 490 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 584 / 492 रकबा 1.12 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 5.13 हैक्टेयर भूमि के हिस्सा 1 / 2 भाग में वादी का नाम मुरली पुत्र हनुमान के स्थान पर मूलचन्द पुत्र हनुमान की घोषणा की जाती है तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे।

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–45/2018
उनवान– मुलचन्द बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 21.12.2018

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 21.12.2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत सहायक कलक्टर
ओहदा.......... चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner